कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 142 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 11/07/ 2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में द्वारसों –काकड़ीघाट मोटर मार्ग के ग्राम टनवाड़ी से भैसोली लिंक रोड को ग्राम दलमोटी व बदुलिया तक मोटर मार्ग के निमार्ण हेतु 2.205 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में।(प्रस्ताव सं0–53193 / 2020)**

संदर्भ :– **ऑनलाईन प्राप्त आपत्तियों के क्रम।**

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा, के पत्रांक– 165 / 12–1 दिनांक– 10.07.2025 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न– उक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

o/c

प्रति हस्ता०

कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

JUL 2025

दूरभाष : 05962.230065, फैक्स: 05962.232182ई–मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 165 / 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 10-7 .2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय – जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में द्वारसों–काकड़ीघाट मोटर मार्ग के ग्राम टनवाड़ी से भैसोली लिंक रोड को ग्राम दलमोटी व बटुलिया तक लिंक रोड को ग्राम दलमोटी व बटुलिया तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.205 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0 53193/2020)।

संदर्भ – इस कार्यालय का पत्रांक 94/12–1(2) दिनांक 08.07.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण संशोधित कर पुनः प्रेषित किया जा रहा है।

क्र. सं0	आपत्ति	निराकरण
1	As per Dss analysis, the proposal diversion area becomes 0.01 ha. instead of 2.205 ha. A clarification and correct information in this regard is shall be submitted.	प्रस्तावक विभाग द्वारा संशोधित के0एम0एल0 फाईल पार्ट I के सैक्शन सी0 में अपलोड कर ली गयी है।
2	CA is proposed over Dergraded Forest Land whereas it has to be proposed on non- forest land as per the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023.	प्रस्तावक विभाग द्वारा संशोधित सी0ए0 क्षेत्र सिविल भूमि में चयनित कर परिवेश पोर्टल के पार्ट I के सैक्शन एल0 में अपलोड कर लिया गया है।
3	Proper alternate alignment with comperative statement has not been submitted, which is required to be submitted.	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग के पूर्व दिशा की ओर से आ रहे पैदल रास्ते के समानान्तरण वैकल्पिक संरेखण तैयार किया गया, उस वैकल्पिक संरेखण में अधिक वृक्ष व मोटर मार्ग की लम्बाई अधिक हो जाने के कारण वैकल्पिक संरेखण को निरस्त किया गया।
4	Reclamation plan for muck dumping area after completion of muck dumping/ road construction is not found submitted	प्रस्तावक विभाग द्वारा Reclamation plan for muck dumping area पार्ट I के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं0 52 में अपलोड कर लिया गया है।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

पत्रांक 165 / 12-1(2) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोडा।